

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,

पुनरीक्षण क्रमांक : /2009 — निगरानो 1070-III/09

रमा निवास मृत वैध वारिसान

1. छोटेलाल मिश्र पुत्र स्व. श्री रमानिवास,
  2. हीरालाल मिश्र पुत्र स्व. श्री रमानिवास
  3. अजायब लाल मिश्र पुत्र स्व. श्री रमानिवास,
- निवासी—ग्राम खांधू तहसील त्योंथर, जिला  
रीवा (म.प्र.) — आवेदकगण

बनाम

- 1 जवाहरलाल पुत्र रामानुज ब्राह्मण,
  - 2 श्रीनिवास पिता बड़कूराम,
- निवासीगण—ग्राम खांधू तहसील त्योंथर, जिला  
रीवा (म.प्र.)

—अनावेदक

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा  
प्रकरण क्रमांक 556/अपील/00-01 में पारित आदेश

दिनांक 18/06/09 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता

की धारा 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार निवेदन है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

- 1 यह कि, विवादित भूमि खाता क्रमांक 86, खसरा क्रमांक कुल कित्ता 24 कुल रकवा 19.96 एकड़ स्थित खान्धू तहसील त्योंथर जिला रीवा के 1/3 हिस्सा आवेदकगण के पिता स्व. श्री रमानिवास, 1/3 हिस्सा के अनावेदक क्रमांक-1 के पिता श्री रामानुज तथा 1/3 हिस्सा के अनावेदक क्रमांक-2 श्रीनिवास भूमि स्वामी थे।
2. यह कि, दिनांक 09/08/98 को संयुक्त खातेदार द्वारा आपसी विभाजन कर अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त कर रहे

श्री. आर. डी. शर्मा एडवोकेट  
द्वारा वाच दि. 4-8-09 को प्रस्तुत

आर. डी. शर्मा

राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

4-8-09

C-52151

13-12-14

सांकु किराजत

प्रकरण आज ~~मि~~ सांकु किराजत में किया गया।  
 कापेटु वल्लभाम, हीरामाल, कल्पु वद अमिकावड  
 श-कड के हिक्ती उपरिधत। अनावडु जालहरमाल  
 अद अमिकावड श्री अउर-रक. देकर डवदधित।  
 वाने पषो न डवदधित अद राजीनाम पेश  
 किया, जिक्ती पुवेट सभस के श्री गई। राजीनाम  
 स्वीकार करते हुये प्रकरण समाप्त किया जाना  
 है। राजीनामा प्रकरण के अलग ही प्रकरण ~~का~~ उपरिधत  
 दिवदधित

R.V. Sharma  
 (अमिकावड)  
 अदक

(अमिकावड)  
 अदक

दीपक लाल  
 अमिकावड  
 अदक

दीपक लाल पुता श्री  
R. Sharma  
 अदक